राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

अग्रहायण 17, सोमवार, शाके 1936–दिसम्बर 8, 2014
Agrahayana 17, Monday, Saka 1936–December 8, 2014

भाग 4 (ख)

राज्यपाल, राजस्थान के अध्यादेश।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 8, 2014

संख्या प. 4(1) विधि/2/2014.–राजस्थान राज्य के राज्यपाल द्वारा दिनांक 8 दिसम्बर, 2014 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया निम्नांकित अध्यादेश सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2014

(2014 का अध्यादेश संख्यांक 1)

[राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 8 दिसम्बर, 2014 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया]

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए अध्यादेश।

यतः, राजस्थान राज्य विधान सभा सत्र में नहीं है और राजस्थान राज्य के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;

अतः अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में इसके द्वारा निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**- (1) इस अध्यादेश का नाम राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2014 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1994 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 19 का संशोधन.- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 19 में,-

(i) विद्यमान खण्ड (त) के पश्चात् और विद्यमान परन्तुक के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(थ) घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय रखता हो और उसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए नहीं जाता हो:" ;

(ii) विद्यमान स्पष्टीकरण को **स्पष्टीकरण-I** के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जायेगा; और

(iii) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित स्पष्टीकरण-I के पश्चात्, निम्नलिखित नया स्पष्टीकरण जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"**स्पष्टीकरण-II.**- इस धारा के खण्ड (थ) के प्रयोजन के लिए-

(i) "स्वच्छ शौचालय" से तीन दीवारों, एक दरवाजे और छत से घिरी हुई कोई जल-बंध (वाटर सील्ड) शौचालय प्रणाली या व्यवस्था अभिप्रेत है; और

(ii) "परिवार के सदस्य" से ऐसे व्यक्ति का/की पति/पत्नी, बच्चे और ऐसे व्यक्ति के साथ निवास कर रहे उसके माता-पिता अभिप्रेत हैं।"।

कल्याण सिंह,
राज्यपाल, राजस्थान।

दीपक माहेश्वरी,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, December 8, 2014

No. F. 4 (1) Vidhi/2/2014.–In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorize the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Panchayati Raj (Sanshodhan) Adhyadesh, 2014 (2014 Ka Adhyadesh Sankhyank 1) promulgated by him on the 8th day of December, 2014:–

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) ORDINANCE, 2014

(Ordinance No. 1 of 2014)

[Made and promulgated by the Governor on the 8th day of December, 2014]

An

Ordinance

further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

Whereas, the Rajasthan State Legislative Assembly is not in session and the Governor of the State of Rajasthan is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor hereby promulgates in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, the following Ordinance, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) This Ordinance may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Ordinance, 2014.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 19, Rajasthan Act No. 13 of 1994.- In section 19 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994),-

(i) after the existing clause (p) and before the existing proviso, the following new clause shall be inserted, namely:-

"(q) does not have a functional sanitary toilet in the house and any of his family members defecate in the open:";

(ii) the existing Explanation shall be renumbered as **Explanation-I**; and

(iii) after the Explanation-I so renumbered, the following new Explanation shall be added, namely:-

"**Explanation-II.-** For the purpose of the clause (q) of this section-

(i) "sanitary toilet" means a water sealed toilet system or setup surrounded by three walls, a door and a roof; and

(ii) "family members" means spouse of such person, children and his parents living with such person.".

कल्याण सिंह,

Governor of Rajasthan.

दीपक माहेश्वरी,

Principal Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.